



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021

फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : गौ०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/2013/3366-70

दिनांक : 15-5-2013

सेवा में,

निदेशक,

✓के०आई०पी०एम० कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी,
गोरखपुर।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या A-20/सोलह-1-2012-13(7)/2012, दिनांक 21 सितम्बर, 2012 के क्रम में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमति से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 02 फरवरी 2013 में के०आई०पी०एम० कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, गोरखपुर के अन्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को-

- | | |
|--|--------|
| 1. कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी० | 60 सीट |
| 2. इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्युनीकेशन इंजी० | 60 सीट |
| 3. मैकेनिकल इंजीनियरिंग | 60 सीट |
| 4. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग | 60 सीट |
| 5. सिविल इंजीनियरिंग | 60 सीट |

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2013-14 हेतु दिनांक 1-7-2013 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

1. संस्था प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बन्धित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी, अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
3. संस्था से एक माह के अन्दर संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।

छात्रों से ली गई फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करते हुए इसकी विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर किया जायेगा।

भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

में पायी गयी कमियों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्षात 2014-15 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में लेत किया जा सकेगा।

का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के संपेक्ष कोई कमियाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया गया।

संस्थाओं की अभातशिप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से निरीक्षण अथवा जाँच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं की सम्बद्धता तदकार्यवाही के अधीन होगी।

संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में विचलन अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की कमियाँ पायी की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की गयी।

भवदीय


(यु०एस०तीमर)
कुलसचिव

आंकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्रमुख सचिव, महा० कुलाधिपति / श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन लखनऊ।
 2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
 3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
 4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।


(यु०एस०तीमर)
कुलसचिव